न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2404—दो / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.6.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण कमांक 38 / निगरानी / 2013—14

1— चन्द्रशेखर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद गुप्ता
2— राजेन्द्र प्रसाद पिता कौशल प्रसाद गुप्ता
3— महेन्द्र कुमार पिता कौशल प्रसाद गुप्ता
4— विमलेश कुमार पिता कौशल प्रसाद गुप्ता
5— मुस0 सुभद्रा गुप्ता बेवा कौशल प्रसाद गुप्ता
6— विद्या पुत्री कौशल प्रसाद गुप्ता
7— अनीता पुत्री कौशल प्रसाद गुप्ता
सभी निवासी ग्राम जयसिंहनगर थाना व
तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री ए. के. द्विवेदी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

: आदेश :

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 38 / निगरानी / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 12—6—14 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा आवेदको को इस आशय का कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया कि आयुक्त, भू—अभिलेख बंदोवस्त ग्वालियर के पत्र दिनांक 28.9.06 के निर्देशानुसार अवैध पट्टों की जांच के दौरान यह तथ्य आया है कि ग्राम खुरसवाह की भूमि खसरा नं 700 / 5 रकबा 1.619 हैक्टर में आवेदकगण भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हैं जबकि उक्त भूमि बंदोवस्त के समय म.प्र. शासन जंगल मद की भूमि थी और वर्ष 73—74 के खसरा

के कॉलम नं. 12 में आवेदक के पूर्वज कौशल प्रसाद का नाम ... था और वर्ष 74-7 में पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के कौशल प्रसाद का नाम भूमिस्वामी के रूप दर्ज किया गया है । कारण बताओ सूचनापत्र में यह भी उल्लेख किया गया है आवेदकगण यदि उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज हो तो प्रस्तुत करें । आवेदकों द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसके साथ उन्हें दिनांक ...-7 को जारी अस्थाई पट्टे की फोटो प्रति एवं पट्टाधारी कौशलप्रसाद के नाम जारी भू-अधिकार पुस्तिका एवं आवेदकों के मध्य हुए नक्शा तरमीम आदेश आदि प्रस्तुत किए गए । तदुपरांत तहसीलदार ने दिनांक 1-6-07 द्वारा यह मानकर कि प्रश्नाधीन भूमि पर पहले कौशलप्रसाद एवं फिर उनके वारिसान आवेदकों के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, को विलोपित कर भूमि म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अपर कलेक्टर न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने इस आधार पर कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है, निगरानी अग्राह्य की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए कि आलोच्य भूमि उनके पूर्वज कौशलप्रसाद को वर्ष 1974 में पट्टे पर दी गई थी उसके उपरांत उनका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया । आवेदक के पूर्वज कौशलप्रसाद का कब्जा दखल 1974 के काफी समय पूर्व से निरंतर चला आ रहा है व्यवस्थापन के पश्चात आवेदक ने भूमि पर काफी मेहनत व धनराशि खर्च करके उसे कृषि योग्य बनाया है ।

यह तर्क दिया गया कि कौशल प्रसाद की मृत्यु के उपरांत आवेदकगणों का नामांतरण वारिसाना आधार पर किया गया । इसके उपरांत नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है उक्त कार्यवाहियां तहसीलदार द्वारा की गई, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि फर्जी तरीके से कौशलप्रसाद एवं बाद में आवेदकों के नाम की प्रविष्टि की गई है, त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है वह भी विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यदि वह यह मानते थे कि तहसीलदार का आदेश अपीलीय है तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण स्थानांतरित करना चाहिए था ।

21/अ–19/73–74 आदेश दिनांक ...74 जिसके द्वारा आवेदकों के पिता के नाम प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, से संबंधित आदेश पत्रिकाओं, आवेदन, व्यवस्थापन आदेश आदि की प्रतियां संलग्न हैं। इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकों के पिता के नाम प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन विधिवत प्रक्रिया अपनाकर किया गया है। अभिलेख में जो पटवारी प्रतिवेदन एवं आदेश है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि निस्तार पत्रक एवं ... भूमि के बाहर है भूमि ... किस्म की ... राजस्व विभाग की है। जो पट्टे की प्रति संलग्न है उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त पट्टा एक वर्ष के लिए दिया गया है उक्त स्थिति में तहसील न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वर्ष 1974–75 में खसरा रोस्टर करते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों के पिता कौशल प्रसाद के नाम की प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से तथा पटवारी ने कौशल प्रसाद से मिली भगत कर की गई है अभिलेख पर आधारित नहीं है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 26 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदकों के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चली आ रही प्रविष्टि को निरस्त कर भूमि म0प्र0 शासन के नाम अंकित करने में त्रुटि की गई है। आवेदक के इस तर्क में भी बल है कि तहसीलदार द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश के संबंध में निकाला गया यह निष्कर्ष कि उन्हें प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिए जाने की अधिकारिता नहीं थी, क्षेत्राधिकार रहित है क्योंकि उक्त निष्कर्ष तथा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश को निरस्त करने के पूर्व तहसीलदार को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं ली गई है, इस कारण उनका आदेश प्रारंभ से ही क्षेत्राधिकार रहित है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि कौशलप्रसाद की मृत्यु के उपरांत आवेदकों का वारिसाना नामांतरण किया गया और तदुपरांत नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई। इन आदेशों को भी कोई चुनौती नहीं दी गई है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आवेदकों के नाम जो पट्टा दिए जाने का आदेश है वह त्रुटिपूर्ण है तब भी उसे 26 वर्ष पश्चात निरस्त करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

" परिसीमा – स्वप्रेरणा से जाच की शक्ति – कानून के अधीन परिसीमा की अवधि

उपबंधित नहीं । युक्तियुक्त समय के भीतर प्रारंभ की जाना चाहिए – प्रयोजन के लिए एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है ।

" भू – राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 · स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति – युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती हैं – मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है ।"

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का सदर्भ देते हुए I.L.R. (2011 M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान केशोरी सिंह एव अन्य तथ म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :--

" भू--राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियो की अवैधता अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल सपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में तथा प्रकरण के तथ्यो को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–14, अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–08 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनाक 01–6–07 विधिसगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकों का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप मे पूर्ववत अंकित किया जाए ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर